लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2026 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 05 फरवरी, 2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**प्रो0 जय प्रकाश सैनी**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	डॉ0 अश्विनी कुमार मिश्रा	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	डॉ0 भावना मिश्रा	कुलसचिव	सदस्य
5.	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनाँक 25 जुलाई, 2025 की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर समिति द्वारा गत बैठक के समस्त बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी एवं निम्नानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

25 जुलाई, 2025 की वित्त समिति की बैठक के बिन्दुः–

बिन्दु सं0–03

लखनऊ विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम बी0पी0एड0 एवं एम0पी0एड पाठ्यक्रम हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में आवश्यकता के अनुरूप पदो के सृजन एवं विभाग को पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आय एवं व्यय का गत तीन वर्षों एवं आगामी तीन वर्षों हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया जाए तथा प्राप्त प्रस्ताव को विचार–विमर्श हेतु वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं0–04

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ वाणिज्य संकाय में स्थापित शोधपीठ भाउराव देवरस हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए तैयार किये गये बजट पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय से पुनः औचित्यपूर्ण बजट प्रस्ताव प्राप्त किया जाए जिसमें शोधपीठ हेतु ब्याज से प्राप्त आय से अतिरिक्त अन्य क्या–क्या आय प्राप्त हुई है अथवा होनी है को भी सम्मिलित किया जाए तथा अन्य मदों में किये जाने वाले व्ययों का भी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करते हुए वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं0–05

वित्त समिति की गत बैठक में एल0यू0 कोड से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2025–26 का आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें बिन्दु सं0–6 एवं 7 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। बजट के बिन्दु सं0–1 से 05 हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करते हुए वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं0–06

वित्त समिति की गत बैठक में डीन एकेडमिक, डीन प्रवेश, कोआर्डिनेटर, प्रवेश तथा निदेशक यू.डी.आर.सी. के मध्य दिनाँक 29 अप्रैल, 2025 को सम्पन्न की गयी बैठक का कार्यवृत्त वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा प्रकरण को अगली वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसे वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः वित्त समिति की आगामी बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

अन्य बिन्दु सं0–01

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ कॉमर्स विभाग में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. के दिशा–निर्देश के अनुरूप असि0 प्रोफेसर को रू0 57,700/– तथा एसोसिएट प्रोफेसर को रू0 1,31,400/– प्रतिमाह (नियत) दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को कॉमर्स विभाग से प्राप्त कर वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ के नाम से स्थापित शोधपीठ हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए तैयार किये गये बजट के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि विगत वर्ष में ब्याज की आय के अतिरिक्त प्राप्त अन्य आय के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 का आय–व्ययक तैयार कर वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–03

ज्योतिष विज्ञान विभाग में संचालित ज्योतिष परामर्श केन्द्र के लिए परामर्श शुल्क (Consultancy Fee) प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समिति द्वारा Consultancy Policy के बिन्दु सं0–8(b) "The member /department of University providing consultancy would be entitled to retain 60% of the share while the university will retain 40% of the net income in case of Science & Technology related assignments and 70% to member of other Department and 30% share to the University." पर सर्वसम्मति से इस शर्त के साथअनुमोदन प्रदान किया गया कि परामर्श शुल्क के रूप में प्राप्त 70 प्रतिशत धनराशि के वितरण का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बीजकों के भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में रू0 800 लाख का प्राविधान है किन्तु गत वित्तीय वर्ष की लम्बित देयता के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप आउटसोर्सिंग मद में रू0 800 लाख का अतिरिक्त प्राविधॉन किये जाने के सम्बन्ध में अनुपूरक बजटीय प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों की विस्तृत समीक्षा कर ली जाए।

बिन्दु संख्या–05

सामान्य निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 की बैलेंसशीट में दर्शित सूची के अनुसार क्रम सं0–01 से 131 तक अग्रिम धनराशि रू0 55,29,793/– मात्र को समायोजित करने तथा बैलेंसशीट से उक्त धनराशि को समायोजन के फलस्वरूप हटवाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लेखा विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे कितने अग्रिम हैं जिनका समायोजन लेखा कार्यालय को प्राप्त हो चुका है और जिसके समायोजन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा ऐसे कौन से अग्रिम हैं जो सेवानिवृत्त/मृत हो चुके है उनके सम्बन्ध में एक समिति बनाकर समायोजन की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमों के आलोक में सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या–06

मा0 कुलपति जी के आदेश दिनॉक 22.01.2026 के क्रम में सभी बाहरी परीक्षक को पीएच0 डी0 मौखिकी की परीक्षा , पीएच0 डी0 की थीसिज ऑन–लाइन करवाने तथा फैकल्टी सलेक्शन हेतु ऑन–लाइन आमंत्रित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव के साथ–साथ सम्बद्धता में स्थलीय निरीक्षण हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक वेव–स्पेश एवं तत्सम्बन्धी आवश्यक उपकरण/साफ्टवेयर लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–07

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में चल रहे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकां के वेतन से EPF की कटौती के उपरान्त नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

EPFO & Anr.Vs. Sunil Kumar B.& Others (2022) Selected Extracts& Details Notes..

Full Judgment Extracts (Key Paragraphs)

1. Contribution above the statutory wage ceiling of Rs. 15,000/- is purely voluntary.
   "As per para26(6) of the EPF Scheme, 1952, any contribution by the employer on wages exceeding Rs. 15,000/- requires a joint written option by both employer and employee. In the absence of such joint option, only the statutory minimum contribution applies."

2. The maximum legal obligation of the employer is limited to Rs. 1,800/- per month.
   " This represents 12% of the statutory wage ceiling of Rs. 15,000/- (Basic+DA), as upheld in R.C. Gupta& Ors. V. RPFC and recognized in the supreme Court Judgment EPFO v. Sunil Kumar B. (2022), which confirmed that contributions beyond the wage ceiling are voluntary and not mandatory unless a joint option is executed."

उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा EPFO & Anr.Vs. Sunil Kumar B.& Others (2022) Selected Extracts & Details Notes. के Judgment का संज्ञान लेते हुए शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों का वेतन रू0 15,000/– तक के लिए EPF की कटौती का इम्प्लायर कन्ट्रीब्यूशन देने तथा उससे अधिक वेतन पाने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक स्वैच्छिक EPF की कटौती अपने वेतन से करवा सकते हैं लेकिन उनको इम्प्लायर कन्ट्रीब्यूशन अनुमन्य नहीं होगा।

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–01

विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के पत्र दिनॉक 19.07.2025 के अनुसार श्री पवन कुमार सिंह, श्री रिंकू , श्री द्वारका प्रसाद एवं श्री अजीत सिंह राठौर जो पूर्व में दैनिक वेतन पर कार्यरत थे । उक्त कार्मिकों को नियत वेतन पर योजित किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दैनिक वेतन पर कार्मिकों की नियुक्ति का कोई शासकीय प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों का अवरूद्ध बकाया सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा कराया जाए तथा पद की योग्यता के अनुसार कुशल/अकुशल दरों पर भुगतान सुनिश्चित करते हुए यदि आवश्यक हो तो सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्य लिया जाए।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव

अनुमोदित

05/02/26
(प्रो0 जय प्रकाश सैनी)
कुलपति/अध्यक्ष

P 3/3